न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 शिविर ग्राम पंचायत – खारीयानींव
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 25/2017

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
1. मगाराम पुत्र डावरराम जाति सीरवी निवासी रामासनी बाला, तहसील सोजत जिला–पाली (राजस्थान)		सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत,

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 18.11.2021

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम रामासनी बाला में आई हुई स्थित है, जिसके खसरा संख्या 848 रकबा 1.0500 हैक्टर, खसरा नंबर 849 रकबा 0.8500 हैक्टर, खसरा नंबर 882 रकबा 1.3500 हैक्टर, खसरा नंबर 883 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 884 रकबा 0.2000 हैक्टर कुल खसरा 05 कुल रकबा 3. 4600 हैक्टर की आई हुई स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का है। गत खसरा संख्या 465, 466 से वर्तमान खसरा नंबर 848, 849, 882, 883, 884 बने है, जो खसरा मिलान संवत 2028–2029 बखुबी साबित है। सैटलमेन्ट विभाग के राजस्व रेकर्ड पर्चा खतौनी संवत 2030 के पर्चा नंबर 203 में उपरोक्त खसरान की भूमि खीवा वल्द भीका 1/3 हिस्सा, भाना वल्द मोती 1/3 हिस्सा, डावर वल्द भीका एवं मगीया वल्द डावर का 1/3 हक हिस्सा अनुसार खातेदारी दर्ज सुदा है। डावर वल्द भीका प्रार्थी के पिता है तथा प्रार्थी के पिता के साथ ही प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार मगीया वल्द डावर के नाम से दर्ज सुदा है। सेटलमेंट के दौरान खसरा मिलना में सहवन से मगीया वल्द डावर के स्थान पर मागीया वल्द डावर दर्ज हो गया, जो सहवन से दर्ज हुआ है। उसके बाद राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में मागीया वल्द डावर के स्थान पर मांगीलाल वल्द डावरराम दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी का सही नाम मगाराम वल्द डावरराम है। प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास के बाद उनके स्थान पर प्रार्थी का नाम मगाराम वल्द डावरराम दर्ज कर दिया गया है। लेकिन प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में मगाराम वल्द डावरराम के स्थान पर मांगीलाल वल्द डावरराम दर्ज हो जाने से खातेदारी जमाबंदी में मांगीलाल वल्द डावरराम के नाम से दर्ज चली आ रही है। उक्त त्रुटिवश मगीया के स्थान पर मांगीलाल दर्ज हो जाने से प्रार्थी अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम हो रहा है। प्रार्थी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में हुई त्रुटि को दुरस्त करवाकर मांगीलाल वल्द डावरराम के स्थान पर मगाराम वल्द डावरराम दर्ज करवाना चाहता है, जो राजस्व रेकर्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। अप्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल पुत्र डावरराम ही प्रार्थी मगाराम पुत्र डावरराम ही है। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 सहखातेदार होने से पक्षकार अप्रार्थीगण बनाया गया है, जिसके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाला गया है। प्रार्थी के अन्य खातेदारी कृषि भूमि गांव रामासनी बाला पर ही स्थित है, जिसमें प्रार्थी का नाम मगाराम

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

वल्द डावरराम के नाम से खातेदारी दर्ज सुदा है। लेकिन उपरोक्त कृषि भूमि में मांगीलाल पुत्र डावरराम दर्ज होने से प्रार्थी को भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। प्रार्थी के वांछित दस्तावेज परिवार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड इत्यादि मगाराम पुत्र डावरराम के नाम से ही बने हुए है। प्रार्थी उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटि मांगीलाल वल्द डावरराम के स्थान पर मगाराम वल्द डावरराम दुरस्त करवाने का अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। वादग्रस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा रामासनी बाला में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थिया ने प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात अन्तर्गत धारा 136 आर0टी0एक्ट0 1956 पेश कर सरहद मौजा रामासनी बाला प0ह0 रामासनी बाला तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि के खसरा संख्या 848 रकबा 1.0500 हैक्टर, खसरा नंबर 849 रकबा 0.8500 हैक्टर, खसरा नंबर 882 रकबा 1.3500 हैक्टर, खसरा नंबर 883 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 884 रकबा 0.2000 हैक्टर कुल खसरा 05 कुल रकबा 3.4600 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम मांगीलाल वल्द डावरराम के स्थान पर मगाराम वल्द डावरराम के नाम से शुद्धि किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने दिनांक 09.10.2017 को जबाब दावा राजस्व रेकर्ड रिपोर्ट पेश कर प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों का कानूनी होना, तथ्यों को प्रार्थिया द्वारा स्वयं सिद्ध किया जाना तथा न्यायालय हाजा से सम्बद्ध होना अंकित किया है। तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2021/4439, दिनांक 18.11.2021 के संलग्न पटवारी हल्का रामासनी बाला की राजस्व रिकोर्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की है, सा. मि. है, के अनुसार न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 01.02.2013 पूर्व रा. वा. सं. 35/2013 मगाराम बनाम सरकार अन्तर्गत 88 आर.टी. एक्ट 1955 एवं धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 में उक्त खातेदारों का अन्य खातों में शुद्ध किया जा चुका है। जबकि वादग्रस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड में उक्त शुद्धिकरण नहीं हो पाया, जो दुरूस्त किया जाना उचित दर्शाया है। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा रामासनी बाला के खसरा संख्या 848 रकबा 1.0500 हैक्टर, खसरा नंबर 849 रकबा 0.8500 हैक्टर, खसरा नंबर 882 रकबा 1.3500 हैक्टर, खसरा नंबर 883 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 884 रकबा 0.2000 हैक्टर कुल खसरा 05 कुल रकबा 3.4600 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सेटलमेंट के दौरान खसरा मिलान में मगीया वल्द डावर के स्थान पर मागीया वल्द डावर दर्ज हो गया, जो सहवन से दर्ज हुआ है। उसके बाद राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में मागीया वल्द डावर के स्थान पर मांगीलाल वल्द डावरराम दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी का सही नाम मगाराम वल्द डावरराम है। जिसे राजस्व रेकर्ड गलत रूप से दर्ज प्रार्थी का नाम मांगीलाल वल्द डावरराम के स्थान पर मगाराम वल्द डावरराम के नाम से शुद्धि किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत को उक्त दुरूस्ती किये जाने पर कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात तथा साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत पर्चा खतौनी सं. 203, सैटलमेण्ट विभाग पर्चा लगान, मिलान खसरा,

उपखण्ड अधिकारी सोजत

पूर्वोक्त न्यायालय हाजा निर्णय दिनांक 01.02.2013, तहसीलदार मय पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टानुसार प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का है। प्रार्थी के तस्दीक सुदा शपथ पत्र छाया प्रति प्रार्थी के वांछित दस्तावेज परिवार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड इत्यादि मगाराम पुत्र डावरराम के नाम से ही बने हुए है जिसकी छायाप्रतियाँ आदि का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा रामासनी बाला प0ह0 रामासनी बाला, तह0 सोजत के खसरा संख्या 848 रकबा 1.0500 हैक्टर, खसरा नंबर 849 रकबा 0.8500 हैक्टर, खसरा नंबर 882 रकबा 1.3500 हैक्टर, खसरा नंबर 883 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 884 रकबा 0.2000 हैक्टर कुल खसरा 05 कुल रकवा 3.4600 हैक्टर कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सदभाविक त्रुटिवश सहवन से गलत रूप से दर्ज में मगाराम पुत्र डावरराम 1/6 प्रार्थी का नाम मांगीलाल वल्द डावरराम 1/6 हिस्सा के स्थान पर मगाराम वल्द डावरराम 1/3 हिस्सा दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

—:आदेश:—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा रामासनी बाला प0ह0 रामासनी बाला, तह0 सोजत के खसरा संख्या 848 रकबा 1.0500 हैक्टर, खसरा नंबर 849 रकबा 0.8500 हैक्टर, खसरा नंबर 882 रकबा 1.3500 हैक्टर, खसरा नंबर 883 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 884 रकबा 0.2000 हैक्टर कुल खसरा 05 कुल रकबा 3.4600 हैक्टर में सेटलमेण्ट के दौरान लिपिकीय सदभाविक त्रुटिवश सहवन से प्रार्थी का नाम मगाराम वल्द डावरराम के स्थान मांगीलाल वल्द डावरराम दर्ज हो गया है। अतः उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड वर्तमान में गलत प्रविष्टि मगाराम पुत्र डावरराम 1/6 एवं मांगीलाल वल्द डावरराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम मगाराम वल्द डावरराम 1/3 हिस्से को दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर ग्राम पंचायत – खारीयानींव

यह निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर ग्राम पंचायत – खारीयानींव